**हयात जफर हाशमी पर लगाया गया एनएसए**

-3 जून, नई सड़क उपद्रव मामले का है मास्टरमाइंड

-वर्तमान में हयात जफर हाशमी चित्रकूट की जेल में बंद है

3 जून को बेकनगंज थाना क्षेत्र की नई सड़क पर हुए उपद्रव और हिंसा के मास्टरमाइंड पर कमिश्नरेट पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से कमिश्नरेट पुलिस ने अपराध के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति स्पष्ट कर दी है।

जांच रिपोर्ट और सुबूतों के आधार पर हयात जफर हाशमी पुत्र रशीद उल ज़फ़र जिसने 03 जून को नई सड़क उपद्रव में दहशत और हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हयात ने उपद्रवियों को लेकर शहर का माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया था। इस घटना से जनमानस में डर और भय का माहौल बनाया था, उस पर पुलिस ने कड़ी कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत निरुद्ध किए जाने का फैसला किया है। हयात ने माननीय न्यायालय में कई बार जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया पर माननीय न्यायालय द्वारा हर बार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। पुलिस ने एनएसए की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली हैं। कानपुर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सौहार्द और लोक व्यवस्था बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी और कानून के विपरीत काम करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। हयात जफर हासमी वर्तमान में चित्रकूट जेल में बंद है।